एग्री आर्टिकल्स
(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)
वर्ष: 03, अंक: 05 (सितम्बर-अक्टूबर, 2023)
www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

(*कमलेश गुर्जर[1] एवं महेश दत्त भड़ाना[2])
[1]कृषि विस्तार शिक्षा विभाग, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान
[2]सस्य विज्ञान विभाग, डीएसबी परिसर, कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखंड
*संवादी लेखक का ईमेल पता: kamleshgurjar0962@gmail.com

तीनों कृषि कानूनों का जब किसान विरोध कर रहे थे उस वक्त एक शब्द बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी था। आज के लेख में हम इसी एमएसपी के संदर्भ में समझना चाहेगे। एमएसपी कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कृषि लागत और मूल्य आयोग की मंजूरी पर तय की जाती है। इस समय एमएसपी पर 23 फसलों की खरीद की जा रही है।

MSP का इतिहास

आजादी के बाद से किसान को समृद्ध व कृषि को फायदा का रोजगार बनाने के लिए सरकार कृषि में कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रही थी। इस संदर्भ में 1964 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने सचिव लक्ष्मीकांत झा के नेतृत्व में खाद्य अनाज मूल्य समिति का गठन किया।

शास्त्री जी का मत था कि किसानों को उनकी उपज के बदले कम से कम इतने रुपए मिले कि उनका नुकसान ना हो। लक्ष्मीकांत झा व कमेटी के अन्य सदस्यों ने 24 दिसंबर 1964 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। जिसपर शास्त्री जी ने तुरत मुहर लगा दी। लेकिन कितनी फसलों को इसके दायरे में लाया जाएगा, यह तय होना बाकी था।19 अक्टूबर 1965 को केंद्र सरकार के तत्कालीन मुख्य सचिव बी. शिवरामन ने कमेटी के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगाई।इसके परश्चात हरित क्रांति के शुरुआती दौर 1966–67 में पहली बार गेहूं और धान का एमएसपी तय किया गया। कीमत तय करने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि मूल्य आयोग का गठन किया जिसका वर्ष 1985 में नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया। लक्ष्मीकांत झा की कमेटी की सिफारिश पर ही वर्ष 1965 में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) का गठन किया गया। सरकार किसानों से खरीदा अनाज एफसीआइ और नाफेड में भंडार करती हैं।P की

MSP की गणना

न्यूनतम समर्थन मूल्य का आंकलन करने के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) खेती की लागत को तीन भागों में विभाजित करता है – ए2 , ए2 +एफएल और सी2.

ए2 में फसल उत्पादन के लिए किसानों द्वारा किए गए सभी तरह के नकदी खर्च जैसे बीज, खाद, ईंधन और सिंचाई आदि की लागत शामिल होती है।

ए2 + एफएल में नकद खर्च के साथ पारिवारिक श्रम यानी फ़सल उत्पादन लागत में किसान परिवार का अनुमानित मेहनताना भी जोड़ा जाता है।

सी2 में खेती के व्यवसायिक मॉडल को अपनाया जाता है। इसमें कुल नकद लागत और किसान के पारिवारिक परिश्रम के अलावा खेत की जमीन का किराया और कुल कृषि पूंजी पर लगने वाला ब्याज भी शामिल किया जाता है।

लेकिन अभी फसल की लागत पर जो एमएसपी तय की जाती है वह ए2 व ए2±एफएल है। यानि सी2 अभी भी एमएसपी में नही जोड़ा गया है। जिससे किसान को काफी नुकसान होता है।

एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट

वर्ष 2004 में भारत में हरित क्रांति के जनक प्रो. एमएस स्वामीनाथन सर की अगुवाई में राष्ट्रिय किसान आयोग के नाम से एक कमेटी बनी थी।

कमेटी ने अक्टूबर 2006 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसमें कमेटी ने पुरजोर तरीके से किसानों को सी2 लागत पर फसल की कीमत देने की वकालत करी थी, जबकि अभी तक सी2 को एमएसपी में लागू नही किया गया है।

वर्तमान स्थिति

हर साल सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती हैं। और वाह वाही लुटती है। लेकिन एमएसपी का फ़ायदा कितने प्रतिशत किसानों को मिलता है, इसे समझने की ज़रूरत है। वर्ष 2015 में, भारतीय खाद्य निगम के पुर्नगठन का सुझाव देने के लिए बनी शांता कुमार समिति ने अपनी रिर्पोट में बताया कि एमएसपी का लाभ 6 प्रतिशत किसानों को ही मिल पाता है। बाकि 94 प्रतिशत किसान खुले बाज़ार में अपनी फसल को बेचते है। 2022 में संसद में कृषि मंत्री से पूछे गए प्रश्न के जवाब में उन्होने बताया कि देश में 8 प्रतिशत किसान एमएसपी का लाभ उठा रहे हैं। यानी 92 प्रतिशत किसान एमएसपी से वंचित हैं।

अब आप सोच रहे होंगे कि 92 किसान वंचित क्यों है? यह फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं ? इसका जवाब यह है कि देश में जितनी सरकारी मंडियों की ज़रूरत है उतनी अभी है ही नहीं। जब सरकारी मंडी नही होगी तो किसान कैसे एमएसपी का फायदा उठा पाएगा। दूसरा मुख्य कारण देश में एमएसपी कानूनी रुप से लागू ही नही है। अगर कानूनी रुप से एमएसपी लागू हो जाता है तो कोई भी निजी क्षेत्र का व्यापारी तय मूल्य से नीचे फसल को नही खरीद पाएगा।

हमें यूरोप के एक छोटे से देश स्पेन से सीखना चाहिए।वहा की सरकार ने कानून बनाया है कि उत्पादन लागन से कम किसी भी फसल की खरीददारी नही होगी। और अगर हुई तो उसे अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा सरकार हर साल झूठी वाह वाही लुटती है। कि हम इस साल इस फसल को इस मूल्य में खरीदेगे। लेकिन देश में कितने प्रतिशत किसानों से खरीदेगे, यह नहीं बताती है। सरकार को अगर सच में किसान को समृद्ध करना है तो एमएसपी को कानूनी रुप से लागू करना होगा। इसके साथ हर तहसील स्तर पर सरकारी मंडी स्थापित करनी होगी ताकि किसान अपने अनाज को बेच सके। अगर सरकार वाकई में यह कार्य करती हैं तो किसान की आय दुगुनी नहीं बल्कि चौगुनी होगी, और खेती घाटे का सौदा न रहकर फायदे का सौदा साबित होगी। जिससे किसान और उनके बच्चे भी खेती को नई ऊंचाईयां प्रदान करेंगे। और देश में बढ़ रही बेरोजगारी भी बहुत कम होगी।